

Shivaji Nagar, Bhopal - 462016 (M.P.)

Phone: 0755-2576839, Fax: 0755-257684 Email: prin wpoly . bpl @ mp. Gov. in www.gwpbpl.ac.in Approved by AICTE & Affiliated to RGPV Bhopal



Excellence in Technical Education for Women Empowerment

#### निविदा प्रपत्र

सुरक्षा व्यवस्था एवं छात्रावास हेतु सफाई कर्मचारी सह चौकीदार उपलब्ध कराने हेतु

सत्र-2022-23

[Total Pages- 14]



Shivaji Nagar, Bhopal - 462016 (M.P.)

Phone: 0755-2576839, Fax: 0755-257684 Email: prin wpoly . bpl @ mp. Gov. in www.gwpbpl.ac.in Approved by AICTE & Affiliated to RGPV Bhopal



Excellence in Technical Education for Women Empowerment

#### निविदा क्रमांक शा0म0पो0भो0 / 2022—23 सुरक्षा 12 / 09 / 2022 (प्रथम निविदा) सुरक्षा व्यवस्था एव छात्रावास हेतु सफाई कर्मचारी सह—चौकीदार उपलब्ध कराने हेतु निविदा

Name & Address of Contractor/ Agency				
Phone:	Fax:			
Tender Form Fee	/EMD Details			
1. Tender Forr	n cost :Rs.1000(Rupees one thousand Only)			
	ryment Ref. NoDated			
	2. EMD Amount :Rs. 25000/-(Rs. Twenty five Thousand Only)			
On Line Pa	yment Ref. NoDated			
	Last Date & Time for On Line Receipt of Tender			
	10/10/2022 TILL01.00PM			
Hard	d Copy Of Technical Bid Submission Date & Time			
	10/10/2022 TILL 5.00PM			
Date& Time of (	On Line Opening of			
	1. Technical Bid. 11/10/2022 - 01.00 PM			
	2. Financial Bid. 11/10/2022 - 03.00 PM			
Venue - GOV	TERNMENT WOMEN'S POLYTECHNIC COLLEGE, BHOPAL			



Shivaji Nagar, Bhopal - 462016 (M.P.)

Phone: 0755-2576839, Fax: 0755-257684 Email: prin wpoly . bpl @ mp. Gov. in www.gwpbpl.ac.in Approved by AICTE & Affiliated to RGPV Bhopal



Excellence in Technical Education for Women Empowerment

प्रति,
प्राचार्य, शा.महिला पोली. महाविद्यालय भोपाल (म.प्र.)
महोदय,
शासकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था एवं छात्रावास हेतु सफाई
कर्मचारी सह चौकीदार उपलब्ध कराने हेतु अपनी दरे प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसके साथ ही उक्त
निविदा के साथ सभी नियमो शर्तो का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया है उन सभी
नियमों / शर्तो का कड़ाई से पालन करना स्वेच्छापूर्वक स्वीकार करता हूँ :
1. निविदाकर्ता / फर्म का नाम पताः
2. नगर निगम का स्थापना पंजीयन प्रमाण—पत्रः
3. ई.पी.एफ.नंः
4. ई.एस.आई.नं:
5. पेन कार्ड नं. :
6. जीएसटी नं.:
7. लेबर स्थापना पंजीयन क्रमांकः
8. अन्य संगत पंजीयनः
9. पुलिस सत्यापन का नवीनतम प्रमाण–पत्रः
10. EMD राशि रू.:
11. विगत पॉच वर्षो में कुल कार्यरत कर्मचारियों की संख्या प्रमाण–पत्र सहितः

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर



Shivaji Nagar, Bhopal - 462016 (M.P.)

Phone: 0755-2576839, Fax: 0755-257684 Email: prin wpoly . bpl @ mp. Gov. in www.gwpbpl.ac.in Approved by AICTE & Affiliated to RGPV Bhopal



Excellence in Technical Education for Women Empowerment

#### निविदा की सामान्य शर्ते :--

- निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाओं पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जावेगा।
- 2. महाविद्यालय द्वारा चाही गई EMD राशि एवं आवश्यक विवरण के अभाव में प्राप्त निविदाऐं निरस्त मानी जावेंगी।
- निविदाएं निर्धारित तिथि एवं समय पर महाविद्यालय में खोली जावेगी। निविदा खोलने के समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते है।
- 4. प्राचार्य के पास किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को अपने विवेक से बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 5. यदि एक बार सफल निविदाकर्ता को महाविद्यालय द्वारा सुरक्षा ठेके का प्रस्ताव दिया जाता है, एवं संबंधित निविदाकर्ता अपनी निविदा निष्पादित करने में असफल होता है, अथवा निविदा वापस लेना चाहता है, तो उस दशा में उसके द्वारा जमा की गई EMD राशि महाविद्यालय द्वारा जप्त कर ली जावेगी।
- 6. निविदा के साथ
  - 1. निविदा पत्रक की राशि रू. 1000 / (रूपये एक हजार मात्र) के ऑन लाइन भुगतान का प्रमाण ।
  - 2. EMD राशि रू. 25,000/— (रूपये पच्चीस हजार मात्र) ऑन लाइन भुगतान के रूप मे जो कि प्राचार्य, शासकीय महिला पॉलीटेकनिक महाविद्यालय, भोपाल के नाम देय हो, जमा करना अनिवार्य है।
- 7. ऐसे निविदाकर्ता जिनकी निविदायें महाविद्यालय द्वारा अस्वीकृत की जाती है, उनकी EMD राशि निविदा प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात लौटाई जा सकेंगी।
- निविदाकर्ता का भविष्य निधि का स्वयं का कोड होना आवश्यक है।
- 9. समस्त निविदाये म. प्र. शासन की ई—टेन्डरिंग वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर दिनांक 10/10/2022 समय 01 बजे अपरान्ह तक जमा की जा सकती है जो कि दिनांक 11/10/2022 को अपरान्ह 01.00 बजे कार्यालय में मनोनीत समिति के सम्मुख निर्धारित प्रक्रिया एवं समय सारणी अनुसार खोली जावेगी ।
- 10. उपरोक्त के अतिरिक्त निविदाकर्ता द्वारा मात्र टेक्नीकल बिड हार्ड कॉपी को लिफॉफे में रखकर निर्धारित तिथि एवं समय पर जमा किया जाना है ।
- 11. फायनेशियल बिड केवल ऑन लाईन ही जमा करना है ।



Shivaji Nagar, Bhopal - 462016 (M.P.)

Phone: 0755-2576839, Fax: 0755-257684
Email: prin wpoly . bpl @ mp. Gov. in www.gwpbpl.ac.in
Approved by AICTE & Affiliated to RGPV Bhopal



Excellence in Technical Education for Women Empowerment

निविदा की सामान्य शर्ते:— सुरक्षा व्यवस्था एवं छात्रावास हेतु सफाई कर्मचारी सह—चौकीदार उपलब्ध कराने हेतु ठेके की सामान्य शर्ते :—

- 1- उक्त ठेका अनुबंध तिथि से दो वर्ष के लिये दिया जायेगा। जो कि कार्य संतोषजनक होने पर आपसी सहमति से आगामी 01 वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा। सुरक्षा व्यवस्था की सामान्य शर्ते:—
- 1. संबंधित एजेन्सी पूर्ण महाविद्यालय में कार्यरत् कर्मचारियों के साथ—साथ महाविद्यालय / छात्रावास की सम्पत्ति (चल / अचल) एवं परिसर की 24 घण्टे सुरक्षा व्यवस्था करेगा / सुरक्षा व्यवस्था में कभी कमी होने के कारण महाविद्यालय को (चल / अचल) सम्पत्ति में यदि किसी प्रकार की आर्थिक हानि होती है तो एजेन्सी द्वारा भरपाई करना पड़ेगी।
- 2. सुरक्षा कार्य में लगाये गये कर्मियों का शिक्षित होना वाछंनीय है ।
- 3. गनमैन के पास राइफल का वेध लाइसैंस होना आवश्यक है इस हेतु एजेन्सी को आवश्यक प्रमाण-पत्र एवं लायसेंस की प्रति जमा करनी होगी ।
- 4.. सुरक्षा एजेन्सी द्वारा स्वयं के व्यय से सुरक्षा कर्मचारियों को वर्दी, प्रोटेक्टिव गारमेंट टार्च, फोटो परिचय पत्र आदि उपलब्ध करायेगी ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित हो सके। वर्दी का रंग एवं डिजाईन की सूचना महाविद्यालय को दी जायेगी।
- 6. सुरक्षा एजेन्सी को अपने कर्मियों के लिए वाहन, आवास, भोजन आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। न तो महाविद्यालय द्वारा यह सुविधा दी जावेगी एवं न इस प्रयोजन हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान किया जावेगा।
- 7. महाविद्यालय की कोई सामग्री महाविद्यालय द्वारा निर्धारित गेट पास होने पर ही बाहर जावेगी जिस पर महाविद्यालय के प्राचार्य / सक्षम अधिकारी कें हस्ताक्षर होंगे जिसका रिकार्ड गार्ड रूम में रखा जावेगा एवं आवश्यकता पड़ने पर संबंधित शाखा एवं प्राचार्य को प्रस्तुत करना होगा। बिना गेटपास के यदि कोई सामग्री बाहर जाती है तो इसकी जवाबदारी सुरक्षा एजेन्सी की होगी।
- 8. सुरक्षा एजेन्सी विगत माह का बिल प्रत्येक आगामी माह के प्रथम सप्ताह में महाविद्यालय में प्रस्तुत करेगी। महाविद्यालय कार्यालय द्वारा बिलों का सत्यापन कर सुरक्षा एजेन्सी को बिल का भुगतान किया जावेगा। यदि कटौती किया जाना हो तो शाखा द्वारा इसकी सूचना वित्त शाखा को दी जावेगी तथा वित्त शाखा के माध्यम से कटौती की कार्यवाही की जावेगी। सुरक्षा ऐजेन्सी बिल के साथ सुरक्षा कर्मचारियों की

सत्यापित उपस्थिति प्रमाण पत्र संलग्न करेगा। यदि सुरक्षा एजेन्सी, द्वारा वैधानिक औपचारिकताओं का परिपालन नहीं किया जाता है एवं संबंधित पत्रक अथवा चाही गई जानकारी बिल के साथ प्रस्तुत नही की जाती है तो महाविद्यालय द्वारा सुरक्षा एजेन्सी को देयक राशि का 5 प्रतिशत भुगतान आगामी निराकरण होने तक रोक दिया जावेगा और इसके फलस्वरूप किसी भी सुरक्षा कर्मियों के भुगतान संबंधी प्रकरणों में यदि अवरोध पैदा होता है (और यदि उपरोक्त के अभाव में देयक के भुगतान में विलम्ब होता है) तो उसकी सम्पूर्ण जबावदारी सुरक्षा एजेन्सी की होगी एवं महाविद्यालय किसी भी प्रकार से जवाबदार नहीं रहेगा।

- 9. दोनों पक्षों में से कोई भी सामान्य दशा में एक माह की पूर्व सूचना देकर सुरक्षा ठेका समाप्त कर सकता हे परन्तु सुरक्षा एजेन्सी द्वारा अनुबंध के उल्लंघन एवं चूक करने की दशा में महाविद्यालय को अधिकार होगा कि वह सुरक्षा ठेका निरस्त कर सकेगा एवं ऐसे प्रकरण में जमा की गई प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जावेगी।
- 10. ठेके के दौरान सुरक्षा एजेन्सी महाविद्यालय के कर्मचारियों को प्रत्यक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से सुरक्षा हेतु कार्य पर नहीं ले सकेगा।
- 11. सुरक्षा एजेन्सी अपना कार्य किसी अन्य ऐजेन्सी (Sub Agency) को नहीं देगा। यह कार्य वह स्वयं निर्वहन करेगा।
- 12. सुरक्षा एजेन्सी महाविद्यालय के प्राचार्य के प्रति उत्तरदायी होगी एवं निर्देशानुसार कार्य करेगी।
- 13. सुरक्षा कर्मचारियों को कार्य पर रखने के पूर्व पुलिस विभाग से उनका सत्यापन करवाने का दायित्व सुरक्षा एजेन्सी का होगा। महाविद्यालय में सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति के पूर्व सुरक्षा एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि उनके विरूद्ध किसी भी न्यायालय / पुलिस थाने में कोई भी प्रकरण विचाराधीन दर्ज नहीं है।
- 14. सुरक्षा एजेन्सी को प्राचार्य द्वारा निर्देशित किये जाने पर सुरक्षा गार्डी का संस्था एवं संस्था की आवश्यकता अनुसार सुरक्षा हेतु किसी भी स्थान पर तैनात किया जा सकेगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 15. साप्ताहिक एवं अन्य अवकाश अथवा अन्य किसीं कारण से सुरक्षा गार्डी की अनुपस्थिति की स्थिति में एजेन्सी तुरन्त संबंधित सुरक्षा गार्ड के स्थान पर अन्य सुरक्षा गार्ड की तैनाती की कार्यवाही करेगी। सुरक्षा व्यवस्था हेतु 24 घंण्टे सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- 16. सुरक्षा एजेन्सी को टेण्डर स्वीकृति होने के उपरान्त पत्र जारी होने के 10 दिवस में अनुबंध करना होगा। अनुबंध के समय निविदाकर्ता को सुरक्षा निधि राशि के रूप रू. 50,000.00 (रू. पचास हजार मात्र)का ड्राफ्ट प्राचार्य शासकीय महिला पॉलीटेकनिक महाविद्यालय के नाम अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। इस संबंध में देयक से किसी प्रकार का समायोजन संभव नहीं होगा। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सुरक्षा निधि राशि महाविद्यालय में जमा होने के पश्चात् निविदा शर्तो के अन्तर्गत सुरक्षा एजेन्सी एवं महाविद्यालय के बीच आवश्यक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित होगा। इसके उपरांत संबंधित फर्म की EMD राशि ऑन लाइन रिफंड कर दी जावेगी निर्धारित अनुबंध प्रपत्र का आलेख कार्यालय में देखा जा सकता है।
- 17. सुरक्षा एजेन्सी के कर्मचारी किसी भी प्रकार की ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। ऐजेन्सी के कार्मचारी किसी भी परिस्थितयों में अपने वेतन आदि के लिए

- संस्था से सीधे सम्पर्क नहीं कर सकेगें। समय पर वेतन भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित ऐजेन्सी की ही होगी न की संस्था की ।
- 18. महाविद्यालय द्वारा समय—समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का कड़ाई से पालन करना एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए सुरक्षा एजेन्सी उत्तरदायी होगी।
- 19. महाविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार सुरक्षा अमले की तैनाती के संबंध में समय—समय पर निर्देश दिये जावेंगे, कर्मियों की संख्या कम या ज्यादा की जा सकती है जिसका सुरक्षा एजेन्सी द्वारा पालन करना अनिवार्य होगा। आवश्यकता पड़ने पर 24 घंटे की पूर्व सूचना पर अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड / गनमैन उपलब्ध कराने होंगे।
- 20. सुरक्षा एजेन्सी को आयकर अधिनियम के अन्तर्गत सुरक्षा गार्डी को उनके वेतन भुगतान करते समय आयकर अधिनियमों का पालन करना होगा।
- 21. महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान / मिदरापान पूर्णतः वर्जित है। यदि सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो प्राचार्य को स्व—विवेक से सुरक्षा एजेन्सी पर जुर्माना का अधिकार होगा एवं यह सुरक्षा एजेन्सी को मान्य होगा।
- 22. सुरक्षा एजेन्सी द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रतिमाह भुगतान संबंधित के बैंक खाते में ऑन लाइन ट्रान्सफर या धनादेश के माध्यम से करना होगा । कर्मचारियो को उनके द्वारा किये गये कार्य के अनुसार नियमानुसार भुगतान किये जाने की जबाबदारी पूर्णतः संबंधित एजेन्सी की होगी तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत / विवाद होने पर संस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी। सुरक्षा एजेन्सी कर्मचारियों के इ.पी.एफ. / ई.एस.आई. कटौत्रा अंशदान नियमानुसार जमा कराने हेतु उत्तरदायी होगी एवं इसका सम्पूर्ण रिकार्ड एजेन्सी द्वारा रखा जावेगा। इस संबंध में सम्पूर्ण नियमों के पालन की जवाबदारी पूर्णतः संबंधित एजेन्सी की ही होगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत / विवाद होने पर संस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
- 23. सुरक्षा एजेन्सी परिसर में आवारा कुत्तों एवं पशुओं को रोकने के लिए भी उत्तरदायी भी होगी। यदि ऐसा करने में वह विफल हुई तो प्राचार्य स्व—विवेक से सुरक्षा एजेन्सी पर जुर्माना कर सकेंगे एवं सुरक्षा एजेन्सी को मान्य होगा।
- 24. यदि महाविद्यालय एवं सुरक्षा एजेन्सी के मध्य अनुबंध के अन्तर्गत कोई विवाद उत्पन्न होता है तो प्राचार्य द्वारा दिया गया निर्णय सुरक्षा एजेन्सी को मान्य एवं बंधनकारी होगा।
- 25. महाविद्यालय के प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि उक्त सुरक्षा व्यवस्था के ठेके की समयाविध एक माह या अधिक समय के लिए स्वीकृति दरों एवं एजेन्सी की सहमित पर बढ़ाई जा सकती है।
- 26. सशर्त (Conditional) प्रस्तुत की गई निविदा मान्य नहीं होगी।
- 27. निविदाकर्ता को महाविद्यालय की उपरोक्त शर्ती को मान्य करने के संबंध में रू. 1000/— के स्टाम्प पर स्वयं के खर्च पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- 28. सुरक्षा कर्मियों का निरीक्षण करने पर उपस्थित पंजी पर हस्ताक्षर के उपरान्त कर्मी के कार्य से अनुपस्थित रहने पर प्रति कर्मी रू. 1000 / (रू. एक हजार मात्र) के मान से देयक में से कटौती की जा सकेगी।

- 29. प्राचार्य द्वारा निरीक्षण के समय सुरक्षाकर्मी के कार्य के प्रति असजग पाये जाने पर प्रतिकर्मी रूपये 500 / (रू. पाँच सौ मात्र) का प्रति निरीक्षण दण्ड के रूप में देयक में से कटौती की जा सकेगी।
- 30. सभी प्रकरणों में न्यायालयीन क्षेत्र अधिकार भोपाल न्यायालय तक सीमित होगा ।
- 31. यह अनुबंध अहस्तांतरणीय रहेगा ।
- 32. समय—समय पर माननीय कलेक्टर महोदय/अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा कुशल/अकुशल आदि दैनिक वेतन भोगी कर्मियों हेतु निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक दरो एवं प्रचलित इं.पी.एफ./ई.एस.आई. कटौत्रा अंशदान आदि का नियमानुसार पालन निविदा राशि में किया जाना होगा।
- 33. फायनेनिशयल बिड में सुरक्षा किमयों हेतु माननीय कलेक्टर महोदय / अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान (निविदा तिथि को प्रचलित दर) न्यूनतम देय राशि से कम राशि के आधार पर की जा रही निविदा को मान्य नहीं किया जावेगा एवं संबंधित फर्म की निविदा प्रपत्र की जमा राशि जमा कर ली जावेगी।
- 34. शैक्षणिक संस्थाओं को प्रदत्त की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी या अन्य कोई सेवाकर देय नही है । अतः निविदाकर्ता उक्त करों की गणना अपनी निविदाओं में न करें ।
- 35. निविदा सूचना में किसी भी प्रकार की टंकण त्रुटि को वाद का विषय नहीं बनाया जायेगा।
- 36. उक्त निविदा हेतु प्राप्त निविदाओं में से टेकनिकल बिड में निर्धारित आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले निविदा कर्ताओं में से कुल न्यूनतम निविदा राशि की दरो को प्रस्तुत करने वाले एवं अन्य समस्त वैधानिक औपचारिकता पूर्ण करने वाली फर्म का चयन किया जायेगा तथापि निविदा कर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दरों में समानता (Tie) होने की स्थिति में निम्न प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जायेगा—
  - ऐजेन्सियों द्वारा गत पाँच वर्षो में शासकीय / अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
  - 2. शासकीय / अर्धशासकीय संस्थाओं में संबंधित क्षेत्र में अधिकतम अनुभव
  - 3. तदोपरान्त विभिन्न शासकीय / अर्धशासकीय संस्थाओं को प्रदाय की जा रही सेवाओं की संख्या

#### इस संबंध में प्राचार्य / समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।

- 37- समय—समय पर माननीय कलेक्टर महोदय/अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा कुशल/अकुशल आदि दैनिक वेतन भोगी कर्मियों हेतु निर्धारित न्यूनतम वेतन एवं भत्ते में किये गये परिर्वतन के प्रमाण प्रस्तुत करने पर संस्था द्वारा परिर्वतित दरों पर भुगतान किया जा सकेगा ।
- 38. फायनेन्सियल बिड में किसी भी मद में '0' (शून्य) राशि कोट किये जाने पर निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
- (1) संस्था हेतू आवश्यक गार्ड की संस्था (1) गन मैन 01नग रात्रि (2) गार्ड 04 नग 8–8 घंटे की अवधि
- (2) छात्रावास सफाई कर्मचारी सह-चौकीदार उपलब्ध कराने हेतू सामान्य शर्ते:--

- 1. उपरोक्त वर्णित सामान्य शर्तो के अतिरिक्त छात्रावास हेतु निम्नलिखित शर्ते लागू रहेंगी।
- अ. संबंधित एजेन्सी को सुरक्षा कर्मचारियों के साथ—साथ संस्था के छात्रावास के संचालन हेतु निम्नलिखित कर्मचारी न्यूनतम कलेक्टर / सक्षम अधिकारी वेतन दर पर उपलब्ध कराने होगें :—
  - 1. महिला सफाई कर्मचारी सह—चौकीदार (संख्या 03)
- ब. उक्त कर्मचारी संस्था के छात्रावास की सुरक्षा, साफ–सफाई एवं सुचारू संचालन हेतु प्रदत्त निर्देशों का पालन करेगें ।
- स. उक्त सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन एवं अन्य समस्त वैधानिक कार्यवाहियां संपादित की जानी होगी ।
- द. छात्रावास कर्मचारी छात्राओं की सुरक्षा एवं अन्य सहायता के लिए पूर्ण समय तैयार रहेंगे। छात्रावास हेतु नियुक्त कर्मचारियों में से एक कर्मचारी को छात्रावास में ही निवास करना होगा ।
- इ. छात्रावास महिला कर्मी स्वस्थ, सौम्य स्वभाव एवं मर्यादित आचरण वाले होगें तथा सभी प्रकार की व्याधियों एवं शारीरिक दोषों से मुक्त होने वांधनीय है।
- फ. उक्त कर्मचारियों की आयु सीमा 21 से 55 वर्ष होना वाछनीय है।

प्राचार्य शासकीय महिला पॉली. महाविद्यालय भोपाल



(पृष्ठ संख्या अंकित की जावे)

## Government Women's Polytechnic College

Shivaji Nagar, Bhopal - 462016 (M.P.)

Phone: 0755-2576839, Fax: 0755-257684 Email: prin wpoly . bpl @ mp. Gov. in www.gwpbpl.ac.in Approved by AICTE & Affiliated to RGPV Bhopal



Excellence in Technical Education for Women Empowerment

संरथा का नामः

टेकनिकल बिड के लिफाफे में रखी जाने वाली तकनीकी निविदा का विस्तृत विवरण (on Line Uplodad किये जाने उपरान्त एजेन्सी के लेटरहेड पर जमा किया जावे)

2.	संस्था का पताः
3.	संस्था का प्रकार (प्रोपराईटर / पार्टनर):
	एन.जी.ओ. / या अन्य कोई हो तो स्पष्ट करे।)
4.	संस्था प्रमुख का नामः
5.	संस्था के पंजीयक / उप पंजीयक:
	फर्म एवं सोसायटी म.प्र. में वैध पंजीयन की छायाप्रति।
6.	कर्मचारी बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.)
	का वैध पंजीयन तथा पिछले वर्ष का रिटर्न
	संबंधी प्रमाण-पत्र
7.	कर्मचारी निधि (ईपीएफ) का वैध पंजीयन :
	तथा पिछले वर्ष का रिटर्न फार्म 6-ए अथवा फार्म 3-ए
	अथवा क्षेत्रीय या उपक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी पिछले
	वर्ष (2021—22) की जमा राशि का प्रमाण पत्र।
8.	श्रमायुक्त, सहायक अथवा शासन द्वारा प्राधिकृतः

	आध	धेकार द्वारा जारी वैध ले	1वर लायसस्				
9. स्थायी आयकर संख्या (पैन नं:							
	पिध	छले वर्ष (2021—22)   वि	<b>गेवर</b> ण				
	अध	अथवा टैक्स क्लियरेंस का प्रमाण पत्र।					
10.	सेव	सेवाकर का एवं जीएसटी पंजीयन क्रमांक (कोड नं.) :					
	पिध	पिछले वर्ष (2021–22) की विवरणी अथवा सेन्ट्रल					
	एक	एक्साइज अथवा संबंधित कार्यालय द्वारा जारी टेक्स					
	क्ल	क्लायरेंस का प्रमाण पत्र।					
11.	प्रोप	गाईटरशिप का प्रमाण प	র:				
12.	वि	केसी शासकीय/अर्द्धशाः	सकीय अथवा शाः	सन के किसी उपक्रम	न में निविदत्त कुल विगत	न पॉच वर्ष एवं अधिकतम	
	अनु	नुभव का विवरण:–					
व्र	<b>न्मां</b> क	विभाग का नाम एवं पता	विगत पॉच वर्षो में अनुबंधित सुरक्षा कर्मियो की संख्या	विगत पॉच वर्षी के आदेश/अनुबंध कमांक एवं दिनांक 12/09/20217 से 30/03/2022 तक	शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में अधिकतम अनुभव (वर्षो में) 12/09/2017 के पूर्व	शासकीय / अर्धशासकीय संस्थाओं को प्रदाय की जा रही विभिन्न प्रकार की सेवाओं की संख्या एवं विवरण	
13.	(रू	25,000 / रू. पच्ची	स हजार मात्र) म्ब	इक राशि के ऑन लाः	इन भुगतान का रेफरेन्स	कमांकएवं	
13.	·	25,000 / —. क्त. पच्ची नांक	•	इक् राशि के ऑन लाः	इन भुगतान का रेफरेन्स	क्रमांकएवं	
13.	दिन				Ç	कमांकएवं	

क्रमांक	विवरण	संबंधित जानकारी	संलग्नक
क्रमाक	Iddan	संबंधत जानकारा	कमांक एवं पृष्ठ संख्या
1	संस्था का नाम		
2	संस्था का पता		
3	संस्था का प्रकार (प्रोपराईटर / पार्टनर)		
4	एन.जी.ओ. / या अन्य कोई हो तो स्पष्ट करे।)		
5	संस्था प्रमुख का नाम		
6	संस्था के पंजीयक / उप पंजीयकफर्म एवं सोसायटी म.प्र. में पंजीयन क्रमांक एवं वैद्यता अवधि		
7	कर्मचारी बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.)का वैध पंजीयन क्रमांक तथा पिछले वर्ष का रिटर्न संबंधी प्रमाण–पत्र		
8	कर्मचारी निधि (ईपीएफ) का वैध पंजीयन क्रमांक तथा पिछले वर्ष का रिटर्न फार्म 6—ए अथवा फार्म 3—ए अथवा क्षेत्रीय या उपक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी पिछले वर्ष (2021—22) की जमा राशि का प्रमाण पत्र।		
9	स्थायी आयकर संख्या (पैन नं.) एवं पिछले वर्ष का विवरण (2021—22) विवरण		
10	सेवाकर का एवं जीएसटी पंजीयन क्रमांक (कोड नं.) पिछले वर्ष (2021—22) की विवरणी अथवा सेन्ट्रल एक्साइज अथवा संबंधित कार्यालय द्वारा जारी टेक्स क्लायरेंस का प्रमाण पत्र।		
11	प्रोपाईटरशिप का प्रमाण पत्र का क्रमांक यदि लागू हो		
12	(रू 25,000 / –. रू. पच्चीस हजार मात्र) EMD राशि के ऑन लाइन भुगतान का रेफरेन्स क्रमांक एवं दिनांक		
13	बैंक का नाम एवं पता		
14	किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान से भी काली सूचीबद्ध (ब्लेक लिस्टेड) हुए है:– <b>हाँ/नहीं</b>		

### ऑन लाइन अपलोड की जाने वाली विस्तृत विवरण-फाइनेसियल बिड

क्रमांक	विवरण	सुरक्षा गार्ड	गनमेन
1	न्यूनतम मूल वेतन		
	प्रति व्यक्ति प्रतिमाह		
2	परिर्वतनशील मंहगाई भत्ता		
3	ई.पी. एफप्रतिशत		
4	ई.एस. आईप्रतिशत		
5	महायोग (प्रतिमाह / प्रतिगार्ड /		
	कर्मचारी )		
6	एजेन्सी का सर्विस चार्ज		
	एवं अन्य शुल्क		
	(जीएसटी छोड कर )		
7	कुल निविदा राशि रूपये		
	(अंको एवं शब्दो में )		

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

#### //घोषणा//

मैं / हम सत्यनिष्ठा से घोषणा करते है कि उपर्युक्त दी गई जानकारी सत्य है। असत्य पाये जाने पर हमारे विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाये। प्रश्नाधीन निविदा में संबंधित कर्मचारियों की सेवाएं देने हेतु हम विधिक रूप से सक्षम हैं। विधिक औपचारिकतायें संस्था के पास पूर्णतः हैं।

#### निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नोटः'—कृपया अनावश्यक एवं भ्रमित करने वाले दस्तावेज संलग्न नहीं किये जाये समस्त दस्तावेज सुस्पष्ट एवं पठनीय होना चाहिए तथा उपरोक्त विवरण के अनुसार क्रमबद्ध संलग्न होना चाहिए।